

लगान निर्धारण वाद संख्या १५ / 21-22
विनय कुमार सिंहा वगै पिता स्व० युगल किशोर प्रसाद साकिन पदमा

तारिख

-: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-

अभियुक्ति

अंचल अधिकारी, पदमा के पत्रांक 08, दिनांक 08.01.2022 द्वारा लगान निर्धारण वाद सं०-01/20-21, विनय कुमार सिंहा वगै पिता स्व० युगल किशोर प्रसाद साकिन पदमा से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुआ है। अभिलेख का आवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, पदमा द्वारा आवेदक विनय कुमार सिंहा वगै० के नाम निम्नलिखित बेलगान भूमि का लगान निर्धारण हेतु प्रस्ताव दिया गया है:-

मौजा	थाना/थाना नं०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा	किस्म
पदमा	पदमा/27	553	8349	0.12 ए०	मकान सहन टांड ।
			8340	0.81 ए०	
		554	8339	0.38 ए०	टांड ।
			8347	0.11 ए०	टांड ।
कुल रकबा 1.42 ए०					

अंचल अधिकारी, पदमा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा पदमा थाना नं० 27 अंतर्गत खाता सं०- 553 प्लॉट नं० 8349 रकबा 0.12 ए० प्लॉट 8340 रकबा 0.81 ए० एवं खाता नं० 554 प्लॉट 8339 रकबा 0.38 प्लॉट 8347 रकबा 0.11 ए० कुल रकबा 1.42 ए० भूमि सर्वे खतियान में खतियानी रैयत भुनेश्वरी देवी पति दशरथ लाल एक अंश वो युगल किशोर प्रसाद, नवल किशोर प्रसाद, नागेन्द्र किशोर प्रसाद, पिता भोला लाल प्रसाद अंश बराबर के नाम रैयति काबिल लगान दर्ज है। खतियानी रैयत की मृत्यु के पश्चात् वंशावली एवं शपथ पत्र के आधार पर उनके वंशज विनय कुमार सिंहा व जयंत कुमार सिंहा पिता स्व० जुगल किशोर प्रसाद, मसो० रीता देवी पति स्व० प्रकाश कुमार सिन्हा एक अंश हिस्सा बराबर, अरुण कुमार सिंहा पिता नवल किशोर प्रसाद एक अंश हिस्सा बराबर, अनिल कुमार, सुनिल कुमार सिंहा, मुकेश कु० सिंहा, राजेश कु० प्रसाद, श्याम कु० सिंहा पिता स्व० नागेन्द्र किशोर प्रसाद एक अंश हिस्सा बराबर का मकान सहन भूमि पर शांति पूर्ण दखल कब्जा है।

अंचल अधिकारी, पदमा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अवेदित भूमि डी० भी० सी०, वन सीमा, शमशान घाट, धार्मिक स्थल, अधिग्रहण, 4(h) एवं न्यायिक वाद से मुक्त है। साथ ही निर्गत आम इस्तेहार के विरुद्ध किसी के द्वारा कोई आपति दर्ज नहीं की गई है।

अभिलेख के साथ अंचल अमीन द्वारा निर्मित प्रस्तावित भूमि का नक्शा, फार्म एम में लगान निर्धारण संबंधी प्रतिवेदन, सर्वे खतियान की सत्यापित प्रति, कर्मचारी अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन आम इस्तेहार का तामिला, शपथ पत्र संलग्न है। अंचल अधिकारी द्वारा खतियान की सत्यापित प्रति संलग्न किया गया है। प्रधान कार्यकारी समिति पदमा ग्राम पंचायत प्रखण्ड पदमा जिला हजारीबाग द्वारा खतियानी रैयत की वंशावली सत्यापित किया गया है।

अंचल अधिकारी, पदमा द्वारा फार्म एम में उपरोक्त भूमि का लगान 20.00 (बीस) रुपये अलावे शेष प्रस्तावित करते हुए प्रस्तावित रैयत के नाम से लगान निर्धारण करने तथा लगान वसूली जमींदारी उन्मूलन की तिथि से करने की अनुशंसा की गई है।

कार्यालय वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग के पत्रांक 1337, दिनांक 16.03.2021 द्वारा बरही अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत वन प्रक्षेत्रों की विवरणी प्राप्त है। उक्त विवरणी से मिलान किया गया। उक्त भूमि वन भूमि के अन्तर्गत नहीं है।

अतएव अंचल अधिकारी, पदमा द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में प्रश्नगत भूमि का लगान लगान 20.00 (बीस) रुपये अलावे शेष वार्षिक अनुमोदित करते हुए खतियानी रैयत के वंशजों के नाम से प्रस्तावित भूमि का लगान निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है। लगान जमींदारी उन्मूलन की तिथि से वसूलनीय होगी।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, पदमा को भेजें।

लेखापित्त एवं संशोधित
 भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
 बरही, (हजारीबाग)

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
 बरही, (हजारीबाग)